ISSN 2278-8808 SJIF 2015: 5.403
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

भारत में महिलाओं की स्थिति और सशक्तीकरण

श्रीमती बबीता

प्रवक्ता के.आर. महिला महाविद्यालय, मथुरा (उ0प्र0)

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही। समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का गरिमामय स्थान प्राप्त था। किन्तु 11वीं सदी से 19वीं शताब्दी के बीच महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। विदेशी शासकों और आक्रमणकारियों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं का उपभोग की वस्तु बना दिया था और उनके कारण बाल विवाह, पर्दा–प्रथा, अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों ने महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया। भारत के कुछ समाज सेवियों ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द विद्यासागर, सावित्री बाई फूले ने नारी उत्थान के लिए बहुत प्रयास किये। जिससे सती प्रथा, बहु विवाह रोकने के कानून बनाये गये। स्त्री शिक्षा के लिए नियम बनाये गये। महिलाओं के पुनरोत्थान ब्रिटिश काल से शुरु होता है। शिक्षा का विस्तार महिला संगठनों का उदय और स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की शुरुआत की।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा स्त्री की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं, और विकासात्मक के कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

उन्नीसवीं सदी से इक्कीसवीं सदी तक महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक, कार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों मे उपलब्धियों के नए आयाम तय किए। आज महिलाएं आत्म निर्भर, स्वनिर्मित आत्म विश्वासी हैं। पुरुषों को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौती दे रही हैं। वह न केवल शिक्षिका, डाक्टर, इंजीनियर, पायलट में अपना शौर्य दिखा रही हैं।

राजनैतिक क्षेत्रों में भी महिलाओं ने नए कीर्तिमान कायम किए हैं। देश के सर्वोच्च पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल लोक सभा स्पीकर पद पर मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी की अघ्यक्ष सोनिया गाँधी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, बसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आदि महिलायें शीर्ष पर हैं। संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए हैं।

आज इक्कीसवीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष 2001 में प्रथम बार "राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति" बनाई गई। जिससे देश में महिलाओं का समुचित विकास हो सके।

स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए कुछ व्यवस्था बनाई गई। संविधान में महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान बताए गए हैं।

संविधान अनुच्छेद	**महिलाओं के लिए प्रावधान**
1. अनुच्छेद 14	1. राज्य में हर व्यक्ति कानून के समान स्थान है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष (समानता का अधिकार)
2. अनुच्छेद 15(3)	2. महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा प्राप्त है।
3. अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19	3. लोक सेवाओं में बिना मतभेद के समान अवसर समान रूप से विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता शोषण के विरुद्ध अधिकार में नारी व बच्चों के क्रय–विक्रय तथा बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
4. अनुच्छेद 23, 24	4. शोषण के विरुद्ध अधिकार में नारी व बच्चों के क्रय–विक्रय तथा बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
5. अनुच्छेद 39 (क)	5. स्त्री–पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था।
6. अनुच्छेद 42	6. महिलाओं के लिए प्रसूति मदद।
7. अनुच्छेद 51 क (5)	7. प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो।
8. अनुच्छेद 243 (4)	8. पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं में 73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था।

संवैधानिक दृष्टि से पुरुष और स्त्रियाँ समान हैं उनके साथ किसी भी प्रकार भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्त्री के साथ को हिंसा, अपराध या भेदभाव करता है तो वह कानून के उल्लंघन के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। यह सच है कि स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाब आए है लेकिन फिर भी अनेक स्थानों पर पुरुष–प्रधान मानसिकता से महिलायें पीड़ित हो रही हैं।

समाज में महिलाओं का सशक्त बनाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के क्षमता प्रदान की गई है। महिलाओं की स्थिति में विकास के लिए 1985 में महिला विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी क्योंकि देश की उन्नति में महिलाओं की आधाी भागीदार है। इसके अनुसार कानूनों पर पुर्न विचार करके महिलाओं को सुविधाऐं दी गई हैं कि वे अच्छी शिक्षा तथा अन्य सुविधायें प्राप्त कर सकें।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के अनुसार, महिलाओं की उन्नति के लिए कानून विकस की नीतियों, योजनाओं को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के कल्याण और विकास को लक्ष्य रखा। 1990 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसक अन्तर्गत वैधानिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई। जिसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास को उन्नत करना है।

महिला सशक्तीकरण को प्रभावी बनाने के लिए न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि कानून विना भेदभाव और ईमानदारी से और मजबूती स काम करेगा तो महिलाओं को अधिक सुरक्षा मिलेगी और वह पुरुषों की बराबरी कर पाऐगी। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिसा या अपराध होता है तो कानून उस महिला को तुरंत न्याय प्रदान करेगा और अपराधी को दण्ड दिया जाएगा। तो वास्तव में महिलाा को शक्तिकरण मिलेगा।

महिलाओं के आर्थिक सामाजिक तौर से काफी पिछड़ी होने के कारण कई क्षेत्रों में स्थिति बहुत भयावह है जिससे उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सी महिलायें घरों में काम करती हैं परन्तु सुरक्षित महसूस नहीं करती। उनके लिए सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं के

सामाजिक–आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बैकों द्वारा छोटे–छोटे ऋण की व्यवस्था की गई है जिससे महिलायें गरीबी रेखा से उभर सकें।

महिलाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, बच्चों के पालन पोषण की सुविधायें, खान–पान से सम्बन्धित योजना, सरकार की ओर से विभिन्न योजनायें चल रही। जिससे स्त्री का सभी क्षेत्रों में विकास सम्भव होगा। महिलाओं के विकास में सशक्तीकरण एक लम्बी प्रक्रिया है जिसके लिए सभी को मिलकर एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

महिलाओ के कल्याण के लिए देश की सरकार ने विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। कुछ योजनायें इस प्रकार हैं –

1. किशोरी शक्ति योजना वर्ष 2000–01
2. स्वयं सिद्ध योजना 2001–02
3. महिला उद्यमियों के लिए ऋण योजना 2001–02
4. जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना 2002–03
5. कस्तुरबा गाधी विशेष बालिका विद्यालय योजना 2003–04
6. वन्दे मात्रम योजना – 2003–04
7. आँगनबाड़ी विशेष बीमा योजना 2004–05
8. जननी सुरक्षा योजना 2003–04
9. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2005–06

महिलाओं की समस्याओं से सम्बन्धित बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको बाद में न्यायालयों द्वारा कानून बना दिया गया है। तथा महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई। उनमें से बहुत से मुदे चर्चा में है तथा उन पर उच्च न्यायालयों में प्रस्ताव होना बाकी है। समस्याओं का कारण संवैधानिक है या नहीं। हम आगे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की समस्याआ से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा कर रहे। जिनके जाने बिना महिलाओं की दशा को समझा नहीं जा सकता। यदि महिलाओं की स्थति पर विचार, सरकारें व सामाजिक तथा धार्मिक संगठन नहीं करेंगे तो हम बराबरी की कल्पना नहीं कर सकते।

महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दे इस प्रकार हैं –

धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा :–

1. हाल ही में भूमाता रंगरागिनी ब्रिग्रेड नामक महिलाओं के समूह ने शनि, सिंगनापुर मंदिर की 400 वर्ष पुरानी परम्परा तोड़ने की कोशिश की जिसके अनुसार महिलाओं को मदिर के गर्भगृह मे प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।
2. सबरी माला केरल स्थित मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है।
3. महाराष्ट्र सरकार ने हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन किया है।

यह प्रतिबंध संविधान प्रदत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। चाहे प्रथागत अधिकार धार्मिक परम्पराओं व प्रथाओं की अनुमति देता है।

धार्मिक मुद्दों से सम्बन्धित एक और समस्या सुर्खियों में है। वह है देवदासी प्रथा, जिसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने देवदासी मुद्दे के रूप में की। कर्नाटक के दावण गैरे जिले के उतंगी माला दुर्गा मंदिर में लड़कियों के देवदासियों के रूप मं समर्पित किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के कन्द्र शासित प्रदेशों विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्रप्रदेश को देवदासी प्रथा रोकने के लिए केन्द्रीय कानून को लागू करने का निर्देश दिया।

देवदासी प्रथा को रोकने के लिए प्रासगिक कानूनः–

कर्नाटक देवदासी अधिनियम 1982 और महाराष्ट्र देवदासी उन्मूलन अधिनियम 2006 जैसे राज्य स्तरीय कानूनों के देवदासी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था।

वर्दीधारी सेवायें एवं महिलायें :

- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि गर्भावस्था के कारण महिलाओं को स्थाई रूप से सेना में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है।
- नौसेना महिलाओं की स्थाई नियुक्ति प्रदान की।
- अब तक महिला अधिकारियों को थल और वायु सेना के कुछ चुनिंदा विभागों में स्थाई कमीशन की नियुक्ति की गयी थी।

- हाल ही में 2017 से आठ शाखाओं में परमामेंट कमीशन में भारतीय नौ सेना ने 7 महिला अधिकारियों की स्थाई नियुक्ति की है।

सशस्त्र बलों में महिलायें :

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लडाकू वर्ग में महिलाओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।

भ्रूण का लिंग परीक्षण :

- यह मुद्दा सुखिर्यों में क्यों आया? महिला एवं बाल विकास मंत्री से सुझाव दिया कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लिंग परीक्षण को अनिवार्य बनाया जाये तथा बच्चे के लिंग का उसी क्षण से पंजीकरण हो जाना चाहिए। जिससे कन्या भ्रुर्ण का गर्भपात न किया जाए और जन्म के बाद बच्चें को ना मारा जाये।

उत्तराधिकारी के रूप में बेटीं :

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैंसले की घोषणा की है कि बड़ी बेटी हिंदू अभिवाजित परिवार की संपत्ति की कर्ता हो सकती है।
- 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय में संशोधन के बाद, बेटियों सहित सभी सदस्यों को समान अधिकार प्रदान किया गया।
- अब न्यायालय के अनुसार विवाहित बेटियाँ भी कर्ता की भूमिका निभा सकती है।

पैतृक संपति पर महिलाओं का अधिकार :

- 9 सितम्बर 2005 में एक संशोधन द्वारा बेटियाँ भी सम्पत्ति में समान हिस्सेदारो की मांग कर सकती हैं।

दहेज हत्यायें :

- दहेज निषेध अधियिम 1961 कानून के प्रभावी एवं परिणामदायक प्रवर्तन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 304–बी दहेज हत्या से सम्बन्धित मामलों में दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

घरेलू हिंसा :

- यह समस्या (महिलाओं के विरुद्ध अपराध में घरेलू हिंसा सबसे अधिक है। 26 अक्टूबर 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम अस्तित्व में आया था। पहली बार भारतीय कानून में 'घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई जिसमें न केवल शारीरिक हिंसा को शामिल किया गया बल्कि इस तरह की भावनात्मक/मौखिक यौन और आर्थिक दुरुपयोग आदि हिंसा के अन्य रूपों को शामिल किया गया है। जम्मु एवं कश्मीर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम राज्य ने 2010 में लागू किया गया।

निष्कर्ष :

इस प्रकार महिलाआ की देश मे आज क्या स्थिति है तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या प्रयास कर रही है। इन सब प्रयासों से महिलाओं को कितना संरक्षण मिला है या संवैधानिक कानून या अन्य धार्मिक सामाजिक संगठन क्या काम कर रहे हैं। आखिर महिलायें कितनी सशक्त हो पाई हैं क्या वास्तव में कानूनों का सख्ती से पालन हो पा रहा है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं लेकिन अभी भी बहुत संघर्ष करना बाकी है। जब महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा तभी वे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से मजबूत होगी।

सन्दर्भ :

भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16
सुरेश लाल, श्री वास्तव राष्ट्रीय महिला आयोग कुरक्षेत्र 7 मार्च 2007.
ब्यास, जयप्रकाश–नारी शोषण – ज्ञान दा प्रकाशन – 2003
मिश्र, जयशंकर (2006) प्राचीन भारत का इतिहास।
बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना
महिलाओं का अर्थिक सशक्तीकरण योजना अक्टूबर 2008.
Wikipedia.com
यू0पी0यू0ई0ए0 इकोनोमिक जनरल वोल्यूम 05, 2009
कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका 2009 पृ0 11, 12
Vision IAS सामाजिक मुद्दे, जुलाई 2015, अप्रैल 2016
डा0 मधुबाला चौहान मनोविज्ञान विभाग डी0एस0 कॉलेज, अलीगढ़ – महिला सशक्तिकरण और मूल्य शिक्षा
प्रो0 संजीव कुमार, असि0 प्रोफेसर (शारीरिक शिक्षा) राजकीय महिला स्नो0 महाविद्यालय, सिरसांगज, फिरोजाबाद – नई सदीं में महिला सशक्तीकरण : दसा व दिशा
कुरुक्षेत्र मार्च 2008
भारत : संविधान और सरकार (कक्षा दस–नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक) सुदिप्त कविराज (NCERT)